तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
01.2026	**स्टेट बनाम राजेन्द्र वगै.** प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी आज यह पत्रावली अभिभाषक श्री नितीन गोयल द्वारा प्रतिवादी 01 की ओर से वकालतनामा व पत्रावली आज में लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसमें वर्णित कथन इस प्रकार है कि उक्त अनवान शीर्षक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वाके रोही ग्राम नालबड़ी, बीकानेर के खसरा नंबर 2181/901 तादादी 1.5500 हैक्टयर, खसरा नंबर 902/1 तादादी 1.5000 हैक्टयर तादादी 3.0500 हैक्टयर कृषि भूमि के बाबत अन्तर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये माननीय तहसीलदार महोदय बीकानेर के अनवान स्टेट बनाम राजेन्द्र के पेश की जाकर उपरोक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कृषि से अकृषि मानते हुए रकबा राज किये जाने बाबत पेश हुआ है तथा माननीय न्यायालय हाजा द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमाये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के कारण प्रार्थी कृषि भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा पर जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही किया जा रहा तथा ना ही केसीसी ऋण सुविधा प्राप्त कर पा रही है ना ही उक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग हेतु करवा पा रहा है जिसके कारण प्रार्थी को नुकसान/क्षति कारित हो रही है। जो कि कतई न्यायोचित व न्यायसंगत नही है। न्यायहित व लोकहित में उपरोक्त कार्यवाही	

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

ड्राप की जानी नितांत ही आवश्यक एवं न्यायसंगत है ताकि प्रार्थी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में तमाम लाभपरिलाभ आदि प्राप्त कर सके एवं अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग हेतु सम्बन्धित कार्यालय में कार्यवाही संस्थित कर सके। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग में करवाये जाने बाबत सम्बन्धित कार्यालय में कार्यवाही संस्थित किये जाने पर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाई जावेगी जिससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी तथा प्रार्थी की कृषि भूमि की प्रकृति कृषि से अकृषि में उपयोग किये जाने के आदेश सम्बन्धित कार्यालय से जारी होने से प्रार्थी के साथ भी न्याय होगा। **अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त अनवान शीर्षक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली को न्यायहित व लोकहित में सशर्त कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन की कार्यवाही छुट प्रदान करने बाबत निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।**

- उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा यह कथन किया गया कि वर्तमान में वादगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी अब उक्त रकबे को संपरिवतर्तित करवाने हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अतिशीघ्र रूप से प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन करवा लेगे। **प्रश्नगत भूमि के किस्म परिवर्तन संबंधी कार्यवाही, उक्त प्रकरण के लंबित रहते होना संभव नहीं है। प्रार्थी उक्त पत्रावली को सशर्त भूमि किस्म परिवर्तन करवाने के आधार पर पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहता है** तथा साथ ही प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गयी है तथा प्रार्थी अपनी भूमि को संपरिवर्तित करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त

वाद/प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे ताकि वादगत भूमि बाबत संपरिवर्तन करवा सके।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण न्यायालय में राज्य पक्ष स्टेट की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 राजेन्द्र वगै. के विरुद्ध वादगत भूमि पर बिना भू–रूपांतरण कृषि से अकृषि (90 ए) करवाए बिना मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत दिनांक 07.09.2022 को प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 जरिये अभिभाषक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है तथा वर्तमान में अब प्रार्थी प्रश्नगत भूमि को संपरितर्वतन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहता है जब तक प्रकरण में 177 आरटीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक सपंरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 177 का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाए एवं राजस्व जमा करवाए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 01, 90 दिवस के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रेस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि प्रार्थी/प्रतिवादी 01 द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपांतरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो पुनः वाद को करवा कर आगामी कार्यवाही करे। उक्त विवेचन व

शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 19.1.26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर